

बिहार सरकार  
कृषि विभाग

अधिसूचना

संख्या : 1/ए०जी०-19/2010

4670

दिनांक : 14-10-2014

भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार कृषि सेवा कोटि-5 (पौधा संरक्षण) में भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।- (1) यह नियमावली 'बिहार कृषि सेवा कोटि-5 (पौधा संरक्षण) भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें नियमावली, 2014' कही जायेगी।
  - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
  - (3) यह तुरत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
2. परिभाषा ।- जब तक संदर्भ में विरुद्ध अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में -
  - (i) 'राज्य' से अभिप्रेत है बिहार राज्य;
  - (ii) 'राज्यपाल' से अभिप्रेत है बिहार के राज्यपाल;
  - (iii) 'सरकार' से अभिप्रेत है बिहार सरकार;
  - (iv) 'विभाग' से अभिप्रेत है बिहार सरकार का कृषि विभाग;
  - (v) 'कृषि सेवा अधिनियम' से अभिप्रेत है बिहार कृषि सेवा अधिनियम, 1982 (बिहार अधिनियम संख्या-44, 1982);
  - (vi) 'कोटि-5 (पौधा संरक्षण)' से अभिप्रेत है बिहार कृषि सेवा अधिनियम, 1982 की धारा 2 के अधीन अनुसूची-1 में उद्धृत कोटि-5 (पौधा संरक्षण);
  - (vii) 'बिहार कृषि सेवा कोटि-5 (पौधा संरक्षण)' से अभिप्रेत है बिहार राज्य की कृषि सेवा, कोटि-5 (पौधा संरक्षण);
  - (viii) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है बिहार कृषि सेवा कोटि-5 (पौधा संरक्षण) का संवर्ग;
  - (ix) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग;
  - (x) 'वर्ष' से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष अर्थात् 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि;
  - (xi) 'सक्षम प्राधिकार' से अभिप्रेत है कार्यपालिका नियमावली द्वारा घोषित प्राधिकार;
  - (xii) 'सदस्य' से अभिप्रेत है बिहार कृषि सेवा कोटि-5 (पौधा संरक्षण) में नियुक्त व्यक्ति;

(xiii) 'नियुक्ति' प्राधिकार से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

3. संवर्ग नियंत्रण — यह सेवा एक राज्य सेवा होगी तथा कृषि विभाग इस सेवा का नियंत्रण विभाग होगा।
4. पद सोपान — (1) (क) मूल कोटि का पद ।— सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण)।  
(ख) प्रथम प्रोन्नति का पद ।— उप निदेशक (पौधा संरक्षण)।  
(ग) द्वितीय प्रोन्नति का पद ।— संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण)।  
(घ) तृतीय प्रोन्नति का पद ।— अपर निदेशक (पौधा संरक्षण)।  
(2) संवर्ग की संरचना एवं बल की पुनर्विलोकन विभाग द्वारा, समय-समय पर आवश्यकतानुसार, की जा सकेगी।
5. मूल कोटि में नियुक्ति एवं प्रोन्नति ।— (1) सेवा में नियुक्ति के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य होगा। मूल कोटि के 67 प्रतिशत पद सीधी नियुक्ति से तथा 33 प्रतिशत पद प्रोन्नति से भरे जायेंगे।  
(2) प्रति वर्ष 1 ली अप्रैल को कोटि में स्वीकृत पदों के विरुद्ध प्रोन्नति के लिए तथा सीधी नियुक्ति के लिए रिक्त पदों की गणना अलग-अलग की जायेगी। यह गणना पदों के आधार पर की जायेगी अर्थात् सीधी नियुक्ति के पदों के रिक्त होने पर इन्हें सीधी नियुक्ति द्वारा तथा प्रोन्नति के पदों के रिक्त होने पर इन्हें प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा। 30 अप्रैल को रिक्तियों के संबंध में आरक्षण कोटिवार अधियाचना विभाग द्वारा आयोग को प्रेषित कर दी जाएगी।  
(3) शैक्षणिक योग्यता ।— संवर्ग में मूल कोटि के पदों पर सीधी नियुक्ति या प्रोन्नति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय/संस्थान/केन्द्रीय विश्वविद्यालय (कृषि संकाय) से Elective Plant Protection (पौधा संरक्षण) के साथ में स्नातक की डिग्री होगी।  
(4) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति ।—  
(i) सीधी नियुक्ति आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों से की जायेगी।  
(ii) उम्र सीमा ।— आवेदन आमंत्रित करने वाले वर्ष के पहली अगस्त को न्यूनतम आयु 21 (इक्कीस) वर्ष होगी। अधिकतम उम्र सीमा वही होगी जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए समय-समय पर, विनिश्चित की जाय, किन्तु विशेष परिस्थिति में इसे राज्य सरकार के आदेश से बढ़ाया जा सकेगा।

